

स्वतंत्र भारत में यौन उत्पीड़न महिला सशक्तीकरण में बाधक

¹डॉ० अनिल कुमार

¹सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविधालय बदायूँ उ०प्र०

Abstract

‘यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवतः’!! अर्थात् जहाँ नारियों (महिलाओं) का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं इस प्रकार की मान्यता एवं विश्वास दुनिया को देने वाला भारत देश का सांस्कृतिक इतिहास इस प्रकार का रहा है कि प्राचीन काल से ही भारत में महिलाओं को बराबर सम्मान हासिल था, सिन्धु घाटी सभ्यता को तो महिला प्रधान सभ्यता होने का सौभाग्य प्राप्त है। अपनी उर्वरा क्षमता एवं शक्ति के आधार के कारण ही भारतीय जनमानस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान प्रदान किया है। हालांकि समय परिवेश और सत्ता के बदलाव के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया जो महिला अभी तक पूजनीय मानी जाती थी अब उसको भोग विलास का साधन मात्र माना जाने लगा। महिलाओं को स्वतंत्र रूप में रहने की इजाजत नहीं रह गई थी। जन्म के साथ पिता का नियंत्रण, विवाह के साथ पति का नियंत्रण एवं वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में स्त्री को रखने की बात कही गई। यद्यपि महिलाओं की यह स्थिति कमोवेश बनी रही। आजादी के आने तक इतिहास के झरोखे से यहीं दृश्य दिखाई देता है। परन्तु वास्तविकता यही रही है कि महिलायें तब से लेकर आजादी तक मात्र भोग विलास की वस्तु ही मानी गई है। बीच-बीच में यद्यपि महिलाओं ने अपनी योग्यता से ऊपर उठ कर देश और समाज में अपनी सक्रीय उपस्थिति दर्ज कराई है। हम नई उमंगों, नये उत्साह और समान रूप से 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं और महिला पुरुष दोनों, जो विश्व जनसंख्या में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शब्द संक्षेप— महिला सशक्तीकरण, स्वतंत्र भारत, यौन उत्पीड़न, चुनौतियाँ।

Introduction

महिलायें इस प्रौद्योगिकी एवं तकनीति के दौर में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं और वास्तविकता ये भी है कि आधुनिक विश्व के निर्माण में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी रही है। इसी प्रकार सपनों के भारत के निर्माण में भी महिला एवं पुरुष दोनों समान रूप से बधाई के पात्र हैं। परन्तु इसके साथ यह भी सच्चाई है कि आधुनिकता के इस दौर में यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न व बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं में भी इजाफा हुआ है व्यक्ति की नैतिकता व संस्कार अब मात्र किताबी लफ्ज़ बनकर रह गये हैं। विकृत मानसिकता की इस बीमारी ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों में तीव्र वृद्धि की है। यौन दुराचार, यौन भावभिव्यक्ति के समान नहीं होता है। यौन दुराचार एक अनचाहा मैथुनिक वर्ताब या कार्य होता है जिसमें बल जताने या किसी के चयन के अधिकार को नकारने के लिए भय, दबाव या शक्ति का उपयोग होता है। यौन दुराचार अथवा दुर्व्यवहार एक बार होने वाली घटना अथवा हिंसा के तरीके का एक हिस्सा हो सकते हैं। इसके शारीरिक, मानसिक, तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सहित विभिन्न तरह के प्रभाव हो सकते हैं। वर्तमान समय में बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं के साथ यौन दुराचार, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं विश्व के अधिकांश देशों में इस अपराध के ग्राफ में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु भारतीय परिदृश्य में यह समस्या काफी गंभीर होती प्रतीत हो रही है भारत

के तकरीबन हर प्रांत में यौन अपराधों की संख्या में तेजी दर्ज की गई है परन्तु उत्तर भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में ये आकड़े चौकाने वाले हैं आए दिन इस प्रकार की घटनाएं, समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आती रहती हैं। वर्तमान परिदृश्य में हमारी बहनों, बेटियों एवं घर की अन्य महिलाओं यहाँ तक की बच्चियों को सुरक्षित रखना देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने से कमतर नहीं है। क्या होगा हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य विचारणीय प्रश्न है? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित देशों में पहले पायदान पर है। जबकि अफगानिस्तान एवं सीरिया जैसे युद्ध प्रभावित देश इस श्रृंखला में भारत से पीछे हैं।

बलात्कार, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार नियंत्रण से बाहर हो गया है। यौन उत्पीड़न के साथ शारीरिक हिंसा एवं हत्या जैसी घटनायें न केवल महामारी का रूप ले रही हैं अपितु स्वस्थ सामाजिक सोसियोसिस्टम को नष्ट कर रही हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा हर जगह होती है परन्तु इसके प्रभाव एवं घटनाएं कम या ज्यादा हो सकते हैं। भारत में यौन हिंसा की जड़े सांस्कृतिक कारकों एवं नैतिक मूल्यों में काफी हद तक जकड़ी हुई है जो कि पुरुषों का समाज में उच्च स्थान प्रदान कर महिलाओं को दोयम दर्जे की स्थिति प्रदान करने जैसी है यह स्थिति कमोवेश वर्तमान में जारी है इसमें वैश्विक स्तर पर और खासकर भारतीय परिदृश्य में यह मामला दिसम्बर 2012 की घटना के बाद अत्यधिक प्रकाश में आया। जब दिसम्बर 2012 में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी की छात्रा के साथ दिल्ली में चलती बस में निर्दयतापूर्वक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और अधमरी अवस्था में सड़क पर फेंक दिया गया। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर यौन अपराध के जैसी घटनाओं को रोके जाने की मांग जोर शोर से उठाएं जाने लगी इस घटना ने तो जैसे सोये हुए जन मानस को झकझोर सा दिया। यह घटना ऐसे घटनाक्रमों की परिणती नहीं थी तत्पश्चात् भी अनेक घटनाएं घटित होती रही। खासकर अति पिछड़े इलाको, खासकर बदायूँ जैसे स्थानों पर इस प्रकार की घटनाओं की पुर्नआवृत्ति होती रहती है पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाबजूद अपराधों में कमी नहीं आ रही है। 27 मई 2014 को कटरा (बदायूँ) में दो युवतियों के साथ गैंग रेप व हत्या जैसी जघन्य घटना ने वैश्विक पटल पर भारत की छवि को दागदार मानवता किया।

दरिन्दगी की इन्तहा यहीं तक नहीं है अपितु को शर्मसार कर देने वाली घटनायें और भी हुई हैं। 29 जनवरी 2018 को दिल्ली में आठ माह की एक अबोध बच्ची को उसी के चचेरे भाई ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया जिस कारण उसके आन्तरिक शारीरिक अंगों को अत्यधिक नुकसान पहुँचा उसे आई0सी0यू0 में गंभीर हालत में भर्ती करना पड़ा। ये इस प्रकार की घटनायें हैं जो प्रकाश में आ जाती हैं अन्यथा ऐसे बहुत सारे अपराध सामने आ ही नहीं पाते। जम्मू कश्मीर में घटित कटुआ की घटना ने धार्मिक संस्थानों और धर्म से जुड़े तमाम ठेकेदारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि जो आस्था और श्रद्धा के केन्द्र हैं उनमें भी बेटे और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार बाल यौन शोषण के मामले 2015 के मुकाबले 2016 में तकरीबन 82 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। 2011 के मुकाबले 2012 में यौन उत्पीड़न के मामलों में 6.4 प्रतिशत कर बढ़ोत्तरी हुई है। लगभग हर तीन मिनट में यौन अपराध की घटना घट रही है आज जैसी परिस्थितियां हैं इस तरह के अपराध और तेजी से बढ़ रहे हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में महती आवश्यकता सुधार के प्रयासों में तेजी लाने की है अपराधियों के लिए जुर्माना बढ़ाने और बलात्कार की कानूनी परिभाषा का विस्तार करने की मांग की है। सरकार की ओर से 'निर्भया फण्ड' के रूप में 480 मिलियन रुपये महिला सुरक्षा के नाम पर बनाया गया है जो कि आंतरिक सुधार को गति प्रदान कर सकता है। निर्भया काण्ड की घटना के छः वर्षों बाद की स्थिति सुधारों की धीमी गति को बयान करती है। हर एक नई घटना पुरानी घटना की ज्वलन्तता को कम कर देती है और अन्ततः परिणाम एक लम्बी शान्ति में डूब जाता है। इन घटनाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि अपनी जगह है गरीब व कमजोर परिवार के लोग अगर इन मामलों में न्याय की तलाश में जाते हैं तो उन्हें अपमान व स्वयं को खतरा हमेशा महसूस होता है। ह्यूमन राइट्स वाच रिपोर्ट— 'Everyone Blames Me' ने पाया है कि बलात्कार व यौन हिंसा में बची महिलायें अक्सर पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में अपमान का सामना करती हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इस प्रकार की घटनायें ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होती हैं NCRB के अनुसार ग्रामीण इलाकों में दलित समुदाय की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं ज्यादा होती हैं ऐसी परिस्थितियों में कानून द्वारा पर्याप्त सुरक्षा न कर पाने के कारण निराशा के माहौल में और वृद्धि हुई है।

यौन उत्पीड़न का एक और घिनौना रूप है एसिड अटैक, हर वर्ष लगभग 300 एसिड अटैक की घटनाएं दर्ज होती हैं पर वास्तविकता इस संख्या से कहीं ज्यादा है। अभी हाल ही में एक सरकारी सर्वे जिसकी रिपोर्ट जनवरी में जारी हुई, के अनुसार भारतीय दम्पति अपने इच्छित संख्या तक पुत्र की प्राप्ति होने तक बच्चे पैदा करना जारी रखते हैं। भारतीय आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम का अनुमान है कि भारत में कुल 21 मिलियन आवंछित लड़कियां हो सकती हैं। जिनके माता-पिता इन बेटियों की बजाय लड़कों की इच्छा रखते थे। ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों में माता-पिता की इच्छा लड़के को वंश चलाने वाला और लड़कियों को जिम्मेदारी मानने की प्रवृत्ति व्याप्त है।

इन सभी घटनाओं के साथ अब ऐसे मामलों को कम करने का प्रयास हर स्तर से किये जाने की आवश्यकता है सरकारी प्रयास, विधिक प्रयास, मीडिया के द्वारा, जागरूकता के द्वारा प्रयास अति आवश्यक हो जाते हैं। सरकारी प्रयासों में अब तेजी दिखाई देने प्रारम्भ हो गई है दिसम्बर 2012 में जब निर्भया काण्ड सामने आया था तो उसने समूचे राष्ट्र की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। उस अपराध की बर्बरता जिन्दगी के लिए निर्भया का साहसपूर्ण संघर्ष और तत्कालीन संवेदनहीनता के चलते नारी समाज का आक्रोश सड़को पर उतर आया था लगा कि पानी सिर से ऊपर आ गया है। मीडिया ने भी सुनिश्चित किया कि निर्भया महज यादों में न रह जाये। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने की राह में सिफारिशें देने के लिए जैन आयोग का गठन करने के साथ ही एक कोष भी बनाया गया। उस वीभत्स कांड के बाद मीडिया ने कश्मीर से लेकर केरल के ऐसे तमाम मामलों को उजागर किया। सोशल मीडिया में भी बहुत सक्रियता देखी गई। लोगों के सख्त तेवरों ने सरकार और संबंधित विभागों को कार्यवाही करने पर मजबूर किया। यौन उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के आरोपों में कई नामी गिरामी लोग भी कानूनी शिकंजे में आए। इससे महिलाओं में उन अपराधों को दर्ज कराने का हौसला बढ़ा जो आमतौर पर पहले दर्ज ही नहीं होते थे। इस पर दोराय हो सकती है कि दुष्कर्म रोकने के लिए किए गए उपाय कितने प्रभावी साबित हुए, लेकिन

इस पर सभी सहमत होंगे कि अपराध को लेकर जागरूकता जरूर बढ़ी है। Human Trafficking (मानव व्यापार) हमारे समाज में कोढ़ की तरह फैला हुआ है जो कि गुलामी का एक धिनौना रूप है— ड्रग्स और हथियारों के बाद ह्यूमन ट्रेफिकिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गनाइज्ड क्राइम है। 80 प्रतिशत तस्करी जिस्मफरोशी के लिए होती है एशिया की अगर बात की जाये तो भारत इसका गढ़ माना जाता है। मानव तस्करी में अधिकांश बच्चिया भारत के पूर्वी इलाकों के अंदरूनी गांवों से आती है। इसे खत्म करने के लिए पहली बार संसद में एक विधेयक 'ट्रेफिकिंग ऑफ पर्सनल (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल 2018' पेश हुआ है। जुलाई में सरकार द्वारा महिलाओं और खासकर बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में सख्त सजा के प्रावधान का विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है। केन्द्रिय ग्रह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 'हाल के दिनों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की बढ़ती घटनाओं को राकने के लिये दोषियों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्यवाही जरूर हो गई है' इसके तहत दुष्कर्म के दोषी को फांसी का प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर कुछ इसी प्रकार के कड़े कानूनों को लाया जाना समय की मांग है और साथ ही इनको ईमानदारी से लागू किये जाने की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष— हमें उम्मीद है कि इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा हम समाज की ज्वलन्त समस्या के कारणों पर विस्तृत प्रकाश डालकर इसके मूल में जाने की सार्थक कोशिश करेंगे, शोध-पत्रों एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के माध्यम से इस समस्या के साथ-साथ इसके समाधान क्या-क्या हो सकते हैं इस पर विस्तृत चर्चा हो, हम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, साहित्य को जागरूकता का माध्यम कैसे बनाया जाए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस हैवानियत के खिलाफ कैसे आवाज उठाई जाए। हमें उम्मीद है कि सम्मेलन की समाप्ति पर इस समस्या के निवारण हेतु ठोस निदान जरूर निकालने में सफल होंगे। विधिक प्रयास तो अपराध के बाद के उपचार है हमें कुछ इस प्रकार के प्रयास करने होंगे कि इस प्रकार की हैवानियत को समूल नष्ट न सही, तो कम से कम करने की ईमानदार कोशिश तो कि जाये। इसके लिए सम्मिलित रूप से, हर वर्ग से, हर स्तर से, जनजागरूकता, आत्ममंथन, आत्मचिंतन और ऐसी घटनाओं के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने की आवश्यकता है। महिला शिक्षा को और प्रभावी, अध्ययन अध्यापन में इस प्रकार की जागरूक करने वाली विषय वस्तु को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। विज्ञान और तकनीक को इस ओर प्रभावशाली अनुसंधान कर नवीन उपकरणों को और प्रभावी रूप से तैयार करने की आवश्यकता और सबसे बड़ी बात महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीकों को समझने की आवश्यकता है। हमें अपने आसपास सामाजिक पारिवारिक वातावरण को और स्वस्थ एवं संस्कारिक बनाने की आवश्यकता है जिससे की इस प्रकार के विचारों का प्रवेश हमारी सोसाईटी में हो ही न पाए। सरकारी प्रयासों द्वारा, इन्टरनेट व सोशल साइट से आपत्तिजनक सामग्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है